४. धारा ४ का संशोधन.

५. धारा ५ का संशोधन.

६. नई धारा ५-क का अन्तःस्थापन.

७. धारा ६ का संशोधन.

८. धारा ७ का संशोधन.

९. धारा ८ का संशोधन.

१०. धारा ९ का संशोधन.

११. धारा १२ का सशोधन.

१२. धारा १३ का संशोधन.

१३. धारा १५ का संशोधन.

१४. धारा १८ का संशोधन.

१५. धारा २३ का संशोधन.

१६. धारा २४ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २००३.

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, २००३.

[दिनांक २१ अप्रैल, २००३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधा
२६अप्रैल २००३ को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ को और संशोधन करने हेतु अधि

भारत गणराज्य के चौवनवे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधि

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम

वृहद् नाम का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ (क्र. १३ सन् १९८४) (जो इसमें इ
अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के वृहद् नाम में, शब्द "तथा आरा-गड्ढों" का लोप किया जा

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

102

''(छ) "आरा-मिल" से अभिप्रेत है ऐसा संयंत्र और मशीनरी जिससे, और ऐसा परिसर जिसमें, जिसके अन्तर्गत उसकी प्रसीमाएं भी आती हैं जिसमें या जिसके किसी भाग में काष्ठ की चिराई विद्युत या यांत्रिक शक्ति की सहायता से की जाती है किन्तु इसमें चक्राकार आरा (कटर), जिसका व्यास (डायामीटर), बारह इंच से अधिक न हो, बर्मा (ड्रिल), टर्निंग मशीन, रंदा (प्लेनर), छोटा आरा मशीन (जिग सा मशीन) तथा बीडिंग टूल्स सम्मिलित नहीं हैं;'';

पृ.क्र.-
पिछला | अगला

(दो) खण्ड (छ) का लोप किया जाए;

(तीन) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(जज) "लकड़ी-टाल" से अभिप्रेत है किसी आरा-मिल की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा लकड़ी-टाल के रूप में अधिसूचित किया गया कोई विनिर्दिष्ट स्थान;''

४. मूल अधिनियम की धारा ४ में,— धारा ४ का संशोधन.

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "या आरा-गड्ढे" का लोप किया जाए;

(दो) खण्ड (क) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु राज्य सरकार ऐसी कालावधि अधिसूचित कर सकेगी जिसके दौरान किसी नई आरा-मिल की स्थापना के लिए कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जाएगी.".

(तीन) खण्ड (ख) में, शब्द "या आरा-गड्ढे" का लोप किया जाए;

(चार) विद्यमान परन्तुक में, शब्द "या आरा-गड्ढे" का लोप किया जाए.

५. मूल अधिनियम की धारा ५ में, शब्द "या आरा-गड्ढा/गड्ढे" जहां कहीं भी वे आए हों, का लोप किया जाए. धारा ५ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ५ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:— नई धारा ५-क का अन्तःस्थापन.

"५-क. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से तथा उन कारणों से, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी क्षेत्र को लकड़ी-टाल के रूप में घोषित कर सकेगी. लकड़ी-टाल घोषणा.

(२) उपधारा (१) के अधीन लकड़ी-टाल की घोषणा की तारीख से किसी नई आरा-मिल के लिए ऐसी दूरी के भीतर जैसी कि विहित की जाए कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि लकड़ी-टाल के भीतर आरा-मिल का स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं हो जाता है.

(३) उपधारा (१) के अधीन लकड़ी-टाल की घोषणा की तारीख के पूर्व मंजूर की गई अनुज्ञप्ति उपधारा (२) के अधीन विहित की गई दूरी के भीतर तब ही नवीकृत की जाएगी यदि अनुज्ञप्तिधारी नवीकरण की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर आरा-मिल को लकड़ी-टाल में ले जाने का वचन दे देता है.".